संख्या-57/2020/258/35-1-2020-422/यो0मा0प्र0/2018टी.सी.-2

प्रेषक,

कुमार कमलेश ,
अपर मुख्य सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
4- समस्त प्रबन्ध निदेशक/निदेशक,
राजकीय निर्माण एजेन्सी।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 25 जून,2020

विषयः जनसुनवाई पोर्टल (cmis.up.gov.in) पर विभिन्न विभागों द्वारा स्वीकृत की गयी निर्माण कार्य से सम्बन्धित दर्ज परियोजनाओं को जनोपयोगी बनाने हेतु गहन अनुश्रवण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश सरकार के विभिन्न विकास विभागों द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित स्वीकृत परियोजनाओं के समय से पूर्ण न होने पर उनकी मूल लागत तथा कार्यावधि में वृद्धि होती है तथा जनमानस को समय पर इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है और राज्य के संसाधनों पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

2- विभिन्न विभागों की निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय से पूर्ण कराते हुए उन्हें जनोपयोगी बनाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विभागों द्वारा स्वीकृत तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं का समय से पूर्ण होना तभी सम्भव है जब उनका सतत अनुश्रवण कार्यदायी संस्था, सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग एवं उच्च स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाय।

3- विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न विकास की परियोजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश संख्या-10/2015-427/35-1-2015, दिनांक 10 अप्रैल, 2015, नियोजन अनुभाग-1, उ.प्र.शासन द्वारा ई-परियोजना प्रबन्धन वेबसाइट के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान में ई-परियोजना प्रबन्धन वेबसाइट को बन्द करते हुए अब इसके स्थान पर जनसुनवाई पोर्टल (cmis.up.gov.in) के माध्यम से गहन अनुश्रवण किये जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी:-

I. प्रदेश सरकार द्वारा संचालित व क्रियान्वित विभिन्न निर्माण सम्बन्धी परियोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर नियमित व सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाना।
II. उन परियोजनाओं को चिन्हित किया जाना, जिनके क्रियान्वयन में विलम्ब हो गया है व विलम्ब सम्भावित है, जिससे कि विलम्ब के कारणों को ज्ञात कर समय से सुधारात्मक प्रशासनिक कदम उठाये जा सकें व उत्तरदायित्व निर्धारण किया जा सके।
III. परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न संस्थाओं को परियोजना के प्रति उत्तरदायी व जवाबदेही बनाना, जिससे कि वे भी पूर्ण मनोयोग से परियोजनाओं को पूर्ण करने में जनोपयोगी बनाने में क्रियाशील हों।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- जनसुनवाई पोर्टल (cmis.up.gov.in) पर वर्तमान में रू. 50 करोड़ या उससे अधिक की लागत की परियोजनाओं का अनुश्रवण किया जा रहा है। अगले चरण में रू. 5 करोड़ की लागत के मार्ग, पेयजल, सीवर/ड्रेनेज की परियोजनायें एवं रू. 1.0 करोड़ की लागत से ऊपर की अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं को भी इस पोर्टल में सम्मिलित किया जायेगा।

5- नियोजन विभाग के राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उ.प्र. का योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग जनसुनवाई पोर्टल (cmis.up.gov.in) पर दर्ज समस्त विभागों की परियोजनाओं के अनुश्रवण का कार्य पूर्ववत करता रहेगा, जिसके निम्नलिखित दायित्व होगें:-

I. प्रत्येक माह विभागवार परियोजनाओं की भौतिक व वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा मुख्य सचिव एवं समय-समय पर मा.मुख्यमंत्री जी को प्रगति से अवगत कराया जायेगा।

II. विभिन्न विकास विभागों की स्वीकृत परियोजनाओं में से जो परियोजनायें कास्ट ओवर-रन एवं टाइम ओवर-रन से प्रभावित होगी, उन परियोजनाओं की वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/ 2017,दिनांक 21 जून,2017 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप गहन अनुश्रवण हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

6. उक्त के सम्बन्ध में समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सभी विभाग एवं कार्यदायी संस्था सुनिश्चित करेगें।

अतः अनुरोध है कि प्रदेश के समस्त विभाग व कार्यदायी संस्थायें उपर्युक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेगें, जिससे परियोजनाओं का प्रभावी तरीके से गहन अनुश्रवण करते हुए उन्हें जनोपयोगी बनाया जा सके।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:57/2020/258/35-1-2020(1)-422/यो0मा0प्र0/2018टी.सी.-2, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उ.प्र.शासन, को मा.मुख्यमंत्री जी के अवगतार्थ।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र.शासन।
3. अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, उ.प्र.शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नियोजन, उ.प्र.शासन।
5. निदेशक, योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ.प्र.,लखनऊ।
6. श्री हेमन्त अरोड़ा, तकनीकी निदेशक (प्रभारी,cmis पोर्टल) लोक भवन, लखनऊ ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in